aii ea

सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

cz iea

अध्यक्ष : का. एन. चक्रवर्ती

महासचिव : का. डी. आर. महापात्र

परिपत्र क्र. : 8/2019

दिनांक : 23/08/2019

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

विषय : सीजेडआईईए सचिव मंडल की बैठक भोपाल में संपन्न

प्रिय साथियों ,

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 अगस्त 2019 को सीजेडआईईए सचिव मंडल की बैठक अध्यक्ष काम. एन. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, झारखंड के श्रमिक नेता एवं पूर्व सांसद श्री ए.के. राय, अभिनेत्री विद्या सिन्हा एवं केरल , कर्नाटक, असम सहित देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से मारे गये नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई।

बैठक में 22-23 जून 2019 को बिलासपुर में संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद से देश व उद्योग के स्तर पर हुए घटनाक्रमों के विश्लेषण के साथ ही उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। सचिव मंडल ने नोट किया कि वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा पेश किये गये बजट ने जनता के रोजमर्रा की समस्याओं तथा बढ़ती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के गहरे संकट से निपटने सार्थक हस्तक्षेप व सार्वजनिक निवेश पर जोर देने के बजाय सामाजिक सुविधाओं में कटौती, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रों में कटौती और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्रों के विनिवेशीकरण अर्थात निजीकरण की नीतियों को तीव्रता से आगे बढ़ाने का ही ऐलान किया है। बीमा क्षेत्र में इन्टरमिडियरी व स्वास्थ्य बीमा में 100 प्रतिशत एफडीआई की घोषणा की गई है। रक्षा, खुदरा, मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी शतप्रतिशत विदेशी निवेश को इजाजत दी जा रही है। बजट में महंगाई से राहत के बजाए पेट्रोलियम पदार्थों पर दो रु. सेस लगाकर जनता के जेबों पर भी हमला किया गयाहै। एलआईसी को भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर उसके आईपीओ जारी करने यानि विनिवेशीकरण व निजीकरण के प्रयास तेज हो गये हैं। हालिया संसद सत्र में सूचना के अधिकार कानून में संशोधन करते हुए उसे बौना बना दिया गया है। श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए वेतन संहिता विधेयक कोड ऑन वेजेस बिल 2019 और कार्य स्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य और काम की हालतें संहिता विधेयक (आक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्प एण्ड वर्किंग कंडीशन कोर बिल 2019) संसद में पेश किया गया। इन दोनों विधेयकों के जरिये वेतन व काम से सुरक्षा से संबंधित मौजूदा 17 श्रम कानून समाप्त हो जायेंगे। जब पूरे देश में मजदूर वर्ग 18000/- रु. प्रतिमाह न्यूनतम वेतन की मांग कर रहा है तब इस वेतन संहिता के जरिये केन्द्र सरकार ने 4628.00 यानि कि 178 रु. प्रतिदिन की न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। इन संहिताओं से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले 90 प्रतिशत श्रमिक श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। संविधान या संवैधानिक अधिकारों, जनतंत्र या जनता की राय के प्रति इस सरकार का तो कतई विश्वास नहीं है। वह जिस फासीवादी विचारधारा से परिचलित है वह तो हर किस्म के जनतांत्रिक अधिकारों को ही बुलडोज करना चाहती है। देश के श्रमिक वर्ग के श्रम कानूनों में मालिकपरस्त सुधार फिर एक बार मजदूरों को मालिकों का गुलाम बनाने के दौर में धकेलने के इन प्रयासों के खिलाफ हड़ताल सहित भारी प्रतिरोध को अनसुना कर यह परिवर्तन किया जाना इसी का प्रमाण है। सचिव मंडल का यह स्पष्ट मत था कि धारा 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर व लद्दाख की जनता की राय लिए बगैर विभाजित कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का कदम भी बुनियादी रूप से संविधान और संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण व उसे समाप्त करने की उनकी इसी व्यापक योजना का हिस्सा है। सचिव मंडल का यह स्पष्ट मत था कि देश की अर्थव्यवस्था में गहरे मंदी, आटोमोबाइल क्षेत्र में भारी तबाही , लाखों की संख्या में श्रमिकों का उत्पादन में गिरावट व कारखानाबंदी से हो रही छंटनी और अन्य लोगों की तबाही से ध्यान बंटाने के लिए ही यह सारे राजनैतिक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि, इसके जरिये श्रमिक वर्ग की सामूहिक एकता को कमजोर कर इन आर्थिक हमलों के खिलाफ प्रतिरोध को कमजोर कर दिया जाये। सचिव मंडल ने बीमा कर्मचारियों से इस परिप्रेक्ष्य में एक मजदूर के रूप में अपनी वर्गीय व सांगठनिक एकता को और मजबूत कर इन राजनैतिक षड़यंत्रों को परास्त करने और अधिक एकताबद्ध होने का आव्हान किया।

सचिव मंडल ने 2 अगस्त को समूचे मध्य क्षेत्र में निजीकरण व श्रम कानूनों में सुधार के खिलाफ समस्त केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व

औद्योगिक फेडरेशनों के आव्हान पर व्यापक विरोध कार्यवाही के लिए बीमा कर्मचारियों को बधाई दी। सचिव मंडल ने एलआईसी के शेयरों को विनिवेश करने के केन्द्र सरकार के षड़यंत्रों के खिलाफ 2 अगस्त को एआईआईईए के साथ ही प्रथम श्रेणी अधिकारी, विकास अधिकारी संगठनों के देशव्यापी संयुक्त प्रतिरोध को अभूतपूर्व द्वार प्रदर्शन के जरिये सफल बनाने के लिए मध्य क्षेत्र के साथियों को बधाई देते हुए इस एकता को और सुदृढ़ बनाने का आव्हान किया।

सचिव मंडल ने 28 जुलाई 2019 को सीजेडआईईए की कामकाजी महिला समिति के छठवें सम्मेलन में रायपुर में शानदार सफल आयोजन के लिए आरडीआईईयू के समस्त सदस्यों को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में मध्य क्षेत्र के अन्य 7 मंडलों से 64 महिला साथी शामिल हुईं, जबकि रायपुर मंडल से भारी संख्या में शाखाओं सहित महिला साथियों ने शिरकत की। सचिव मंडल ने 11 अगस्त 2019 को बैंगलोर में संपन्न एआईआईईए के अ.भा. कामकाजी महिला सम्मेलन में शामिल महिला साथियों को बधाई दी। विदित हो कि इस अभा सम्मेलन में इंदौर व सतना मंडल को छोड़कर अन्य सभी मंडलों से दो महिला साथियों ने हिस्सेदारी की।

सचिव मंडल ने नकारात्मक आर्थिक परिवेश में भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई 2019 तक दर्ज की गई प्रगति की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण बीमा उद्योग ने 82,146.46 करोड़ रुपये के साथ 44.25 प्रतिशत प्रीमियम के मामले में वृद्धि दर्ज की । जिसमें एलआईसी ने 60,106.66 करोड़ रुपये प्रीमियम एकत्र कर 51.86 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 73.17 प्रतिशत बाजार हिस्से पर नियंत्रण रखा है जबकि निजी कंपनियों ने 22,039.81 करोड़ रु. एकत्र कर 26.89 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बाजार हिस्से के 26.89 प्रतिशत पर नियंत्रण रखा है। ठीक इसी तरह पॉलिसी संख्या के मामले में संपूर्ण उद्योग में 70,00,277 यानि 0.96 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। जिसमें एलआईसी ने 50, 30,327 पॉलिसी बेचकर – 2.06 प्रतिशत वृद्धि के साथ 71.86 प्रतिशत बाजार हिस्से और निजी कंपनियों ने 19,69,950 पॉलिसी बेचकर 9.61 प्रतिशत वृद्धि के साथ 28.14 प्रतिशत बाजार हिस्सा पर नियंत्रण रखा है। सचिव मंडल का यह स्पष्ट मत था कि वर्तमान केन्द्र सरकार के राष्ट्रीयकृत भारतीय जीवन बीमा निगम को निजीकृत करने की कोशिशों के खिलाफ जहां एक ओर हमारी संपूर्ण एकता को मजबूत बनाना होगा वहीं दूसरी ओर हमारे अभिकर्ता, बीमाधारक व आम जनता को इभी इस संघर्ष में हमें जोड़ना होगा। सचिव मंडल ने इस परिप्रेक्ष्य में निम्न कार्यक्रम निर्धारित किये हैं–

1. 1 सितंबर 2019 को 'राष्ट्रीयकृत एलआईसी की हिफाजत करो दिवस', सभी इकाइयों में मनाया जाये। इस हेतु पर्चा वितरण, निगम के सामाजिक, देश विकास में योगदान की प्रदर्शनी, नुक्कड़ सभा, परिचर्चा इत्यादि कार्यक्रम किये जायें।
2. अभिकर्ताओं के साथ संवाद, परिचर्चा, प्रतियोगी अभियान आदि के जरिये उन्हें प्रोत्साहित किया जाये।
3. प्रत्येक इकाई में किसी एक साथी को जवाबदारी देकर संबंधित माह में जिन पॉलिसीधारक का प्रीमियम भुगतान देय हो उनसे संवाद कायम कर भुगतान हेतु उन्हें प्रेरित किया जाये।
4. बीमाधारक सेवा पखवाड़ा व पॉलिसी नवीनीकरण हेतु अभियान चलाया जाये।

सचिव मंडल ने पेंशन के अंतिम विकल्प के अमल की स्थिति की समीक्षा की। सचिव मंडल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि संगठन के सतत प्रयासों से वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों में से 2 लोगों को छोड़कर मध्य क्षेत्र के सभी साथियों ने विकल्प आवेदन जमा करा दिया। सचिव मंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारी व मृत कर्मचारियों के आश्रित में से विकल्प देने से बचे हुए लोगों से 21 अगस्त 2019 तक हर हाल में विकल्प आवेदन जमा करा देने तथा इन सभी लोगों को एआईआईपीए का सदस्य बनाने तथा सभी मंडलों में एआईपीए का निर्माण कर इसे सक्रिय बनाने सभी मंडलीय इकाइयों से संपूर्ण सहयोग का आह्वान किया।

सचिव मंडल बैठक में इसके अलावा संगठनात्मक स्तर पर सीजेडआईईए व एआईआईईए के आगामी सम्मेलन को सफल बनाने कार्यकारिणी समिति में लिए गए निर्णय को 30 सितंबर तक पूर्ण करने का आह्वान किया। सचिव मंडल बैठक ने सीजेडआईईए के जबलपुर में 23 नवंबर से होने वाले आगामी सम्मेलन की तैयारियों में जुटे जेडीआईईयू के प्रत्येक साथी का अभिनंदन किया व सभी मंडलों से 7 सितंबर तक प्रतिनिधि व अधिकृत प्रेक्षकों (चार दिन तक सम्मेलन में रहने वाले) की सूची जबलपुर व सीजेडआईईए मुख्यालय को प्रेषित करने का निर्णय लिया। बैठक में 17 अगस्त को क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ आयोजित सूचना सहभागिता सत्र की विषय सूची को भी अंतिम रूप दिया गया।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ...

आपका साथी

(डी.आर. महापात्र)

महासचिव